

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 80/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. किशनलाल आत्मज डालु तेली निवासी मानपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. जेती पुत्री डालु तेली निवासी मानपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. गंगा बेवा डालु तेली निवासी मानपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. चुना आत्मज देवा तेली निवासी मानपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. नाना आत्मज भुरा सुथार निवासी मानपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. भैरू आत्मज गंगाराम तेली निवासी मानपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. गोपु आत्मज गंगाराम तेली निवासी मानपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. मांगु आत्मज जेता तेली निवासी मानपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. पर्वतसिंह -

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 03.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मानपुरा पटवार हल्का देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1206 रकबा 0.32 हैक्ट., आराजी संख्या 1215 रकबा 0.22 हैक्ट., आराजी संख्या 1243 रकबा 0.29 हैक्ट., कुल किता 03 कुल रकबा 0.83 हैक्ट. भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 14 पर स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने मवेशी वगैरा चराने में दरमियान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता हैं। जिससे प्रार्थीगण को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5 को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे व प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 31.07.2018 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी करवाने से इंकार हो गए, जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 28.08.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के



आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम मानपुरा पटवार हल्का देवरिया के बेरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 1206 रकबा 0.32 हैक्ट., आराजी संख्या 1215 रकबा 0.22 हैक्ट., आराजी संख्या 1243 रकबा 0.29 हैक्ट., कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.83 हैक्ट. भूमि स्थित है। उक्त आराजियात की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा दें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है, तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रूपये 100/- अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 400/- अक्षरे चार सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावे।



गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 03.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा